

FAX

योगेश कुमार
प्रमुख सचिव



शीर्ष प्राथमिकता

अवधिशा०प०सं०: 1181 / 54-1-11 / 8(11) / 2011

उत्तर प्रदेश शासन

भूमि विकास एवं जल संसाधन/परती भूमि एवं
संरक्षणगत वित्त विभाग।

लखनऊ: दिनांक 29 नवम्बर, 2011

5.0 I
लखनऊ, 29/11/11
28/11/11

प्रिय महोदय,

कृपया शारानादेश सं० -1169/54-1-11/8(11)/2011, दिनांक 25-11-2011 का संदर्भ लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आई०डब्ल्यू०एम०पी० कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषि विश्वविद्यालयों तथा विषय वस्तु से संबंधित अन्य संस्थाओं को डी०पी०आर० बनाये जाने में तकनीकी सहयोग लेने हेतु अधिकृत किया गया है। उपरोक्त शासनादेश के क्रम में कई जनपदों से यह अवगत कराया गया है कि कतिपय संस्थाएँ डी०पी०आर० बनाने में अपेक्षित सहयोग नहीं कर रही हैं, जिसको देखते हुए शारान द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त संदर्भित शासनादेश में उल्लिखित किसी भी संस्था से आई०डब्ल्यू०एम०पी० का डी०पी०आर० तैयार कराये जाने में तकनीकी सहयोग लिया जा सकता है।

कृपया इस संबंध में तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(योगेश कुमार)

श्री हरि लाल पासी,
आयुक्त एवं प्रशासक
शारदा सहायक कमाण्ड परिषोजना,
गोखले मार्ग, लखनऊ।

श्री लाल बिहारी,
आयुक्त एवं प्रशासक,
रामगंगा कमाण्ड परिषोजना,
पाण्डुनगर, कानपुर।

संख्या: 1181(12)/ /2011, तददिनांक

प्रतिलिपि:- समस्त उपनिदेशक/भूमि संरक्षण अधिकारी, भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग,
उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(योगेश कुमार)
प्रमुख सचिव।